भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 175
04 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: हरियाणा में पारंपरिक कृषि की तुलना में बागवानी के लाभ

***175. श्री कार्तिकेय शर्मा:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में किसानों हेतु बेहतर लाभप्रदता के लिए किन-किन विशिष्ट बागवानी फसलों की सिफारिश की गई है;

(ख) लाभप्रदता की दृष्टि से पारंपरिक कृषि फसलों की तुलना में बागवानी फसलों से कौन-कौन से प्रमुख लाभ मिलते हैं;

(ग) हरियाणा में बागवानी फसलों को अपनाने से किसानों के लाभ में कितनी वृद्धि होने की संभावना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बागवानी फसलों को अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने और उनकी सहायता करने के लिए सरकार कौन-से उपाय करने या समर्थन कार्यक्रम शुरू करने का विचार रखती है; और

(ङ) परंपरागत कृषि फसलों के स्थान पर बागवानी फसलों को अपनाने में किसानों को किन-किन चुनौतियों या बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और सरकार ऐसी चुनौतियों से किस प्रकार निपटने की योजना बना रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"हरियाणा में पारंपरिक कृषि की तुलना में बागवानी के लाभ" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 04.08.2023 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 175 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख) : बागवानी फसलें रोजगार पैदा करने, पोषण सहायता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने और महिला सशक्तीकरण के द्वारा अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बागवानी क्षेत्र प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक लाभ, उच्च निर्यात मूल्य, अन्य फसलों की अपेक्षा उच्च उत्पादकता, सीमांत भूमि का सर्वोत्तम उपयोग और परम्परागत फसलों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक खाद्य ऊर्जा का उत्पादन जैसे लाभ प्रदान करता है। विभिन्न जलवायु और मृदा परिस्थितियों में बागवानी फसलों की अनुकूलन क्षमता और बढ़ी हुई पैदावार उन्हें किसानों के लिए लाभकारी बनाती है। प्रति इकाई क्षेत्र में फलों और सब्जियों की उपज, अनाज की तुलना में अधिक होती है। धान की उपज 40 क्विंटल/ हेक्टेयर जबकि केले की 370 क्विंटल/ हेक्टेयर और अंगूर की उपज 210 क्विंटल/ हेक्टेयर होती है। हरियाणा के लिए अनुशंसित बागवानी फसलें निम्नानुसार हैं:-

(i) फल - आम, अमरूद, किन्नू, साइट्रस (नींबू), आंवला, बेर और चीकू
(ii) सब्जी - कद्दू वर्गीय फसलें, गोभी वर्गीय फसलें, टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन और मशरूम
(iii) फूल - ग्लेडियोलस, गेंदा और लिलियम
(iv) मसाले - अदरक, मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, सौंफ और मेथी

हरियाणा में उगाई जाने वाली बागवानी फसलों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) : सब्जियों के लाभ में संभावित वृद्धि परम्परागत फसलों की तुलना में 5-6 गुना और फलों के मामले में 3-4 गुना अधिक होती है। सब्जियों के साथ खेतों में परम्परागत फसलों के चक्रीकरण से भी किसानों को प्रति एकड़ अधिक लाभ मिल रहा है।

(घ) एवं (ङ) : भारत सरकार समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसे क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से बागवानी के समग्र विकास को बढ़ावा देती है, जिसमें रोपण सामग्री, नए वृक्षारोपण, सूक्ष्म सिंचाई, बागवानी यंत्रीकरण, संरक्षित खेती, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन अवसंरचनाओं जैसे घटकों के लिए आरंभ से अंत तक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। बागवानी को अपनाने में आने वाली मुख्य चुनौतियां - अत्यधिक प्रारंभिक निवेश, रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, तकनीकी ज्ञान की कमी, फसलोपरांत नुकसान, अक्षम आपूर्ति श्रृंखला और बाजारों के साथ कमजोर संपर्क है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एमआईडीएच और राज्य योजना के तहत हरियाणा में ग्यारह (11) फसल विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए गए हैं ताकि किसानों को प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, तकनीकी ज्ञान प्रदान

किया जा सके। इन ग्यारह (11) केन्द्रों में से सात (7) सीओई एमआईडीएच के अंतर्गत और चार (4) राज्य योजना स्कीमों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित हैं और फलों तथा सब्जियों आदि के विकास के लिए कार्यरत हैं।

इसके अतिरिक्त, शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किसानों को सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए बागवानी फसलों को भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत सरकार के कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना के अंतर्गत बागवानी क्षेत्र में अवसंरचना के सृजन के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) वाणिज्यिक बागवानी, संरक्षित खेती, शीतागारों, पैक-हाउसों एवं प्राथमिक प्रसंस्करण आदि सहित फसलोपरांत अवसंरचना के विकास के लिए भी सहायता प्रदान कर रहा है और बोर्ड ने वर्ष 2023-24 तक हरियाणा राज्य में 92 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने भी हरियाणा के लिए जलवायु अनुकूल फलों और सब्जियों की चार-चार प्रजातियों की सिफारिश की है।

इसके अलावा, हरियाणा राज्य सरकार बागवानी उत्पादकों को लागत और शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के प्रचलित बाजार मूल्य की अंतर प्रोत्साहन राशि प्रदान करके क्षतिपूर्ति करने के लिए भावांतर भरपाई योजना (बीबीवी) भी कार्यान्वित कर रही है। इसके साथ ही, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से किसानों की रक्षा के लिए, सब्जियों और फलों के लिए न्यूनतम क्रमशः 30,000/- रुपये और 40,000 रुपये प्रति एकड़ की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) नामक एक राज्य-विशिष्ट फसल आश्वासन योजना कार्यान्वित की जा रही है।

अनुबंध-I

बागवानी फसलों का विवरण

क्र.सं.	सब्जियाँ	फल	पुष्प	मसाले
1	करेला	आंवला/करौंदा	गुलदाउदी	अदरक
2	लौकी	बेल	जरबेरा	मिर्च
3	बैंगन	बेर	ग्लेडियोलस	हल्दी
4	बंदगोभी	अंगूर	गेंदा	लहसुन
5	शिमला मिर्च	अमरूद	गुलाब	धनिया
6	गाजर	लीची	ट्यूब रोज़	सौंफ
7	फूलगोभी	आम	-	मेथी
8	खीरा	खरबूजा	-	-
9	मिर्च (हरी)	साइट्रस	-	-
10	ओकरा/भिंडी	आड़ू	-	-
11	प्याज	नाशपाती	-	-
12	मटर	आलूबुखारा	-	-
13	आलू	अनार	-	-
14	मूली	चीकू	-	-
15	सीताफल/कद्दू	स्ट्रॉबेरी	-	-
16	टमाटर	-	-	-
17	मशरूम	-	-	-

******